I/1499/2024

सत्यमेव जयते

संख्या– 1499 / जी0एस0(शिक्षा) / **A4-39(II)** / 2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 10 अप्रैल, 2024

महोदय,

कृपया एफीलियेशन पोर्टल वेबसाइट पर आवेदन आई.डी.–240120022301 के माध्यम से आपके द्वारा प्रेषित निम्नांकित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथासंशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या सत्र	शैक्षिक सत्र
फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, 12 किमी माईल स्टोन, भगवानपुर–हरिद्वार हाईवे, ग्रा0–इमलीखेड़ा, धर्मपुर, रूड़की, हरिद्वार	बी0टैक0 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Electrical and Electronics Engg. 4. Electronics and Communication Engg. 5. Mechanical Engg.	 60 120 60 15 60	2023–24
	एम0बी0ए0	120	

(1) प्राभूति राशि का मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक संस्थान से शैक्षणिक सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी

Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 10/04/2024 03:51 pm

I/1499/2024

तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(5) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 09-04-2024 14:24:41

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या-- (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A4-39(II)**2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल।

Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 10/04/2024 03:51 pm